न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2687/2026

UPAD010072172026

1. गुड्डू कुशवाहा उर्फ दीपक कुमार पुत्र टंडन कुशवाहा उर्फ परषोत्तम
2. इन्द्रावती पत्नी गुड्डू कुशवाहा उर्फ दीपक कुमार

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी

मु.अ.सं.– 50/2024
धारा– 323, 504, 506 भा.दं.सं.
धारा–3(1)(द), 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी.एक्ट
थाना–घूरपुर, जनपद– प्रयागराज।

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण गुड्डू कुशवाहा उर्फ दीपक कुमार व इन्द्रावती की ओर से मु.अ.सं.–50/2024, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(द), 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना– घूरपुर, जनपद–प्रयागराज में प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन–पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामू हरिजन द्वारा दिनांक 30.01.2024 को समय 22.22 बजे, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज में इस आशय का मुकदमा पंजीकृत कराया कि वह गांव में प्राइमरी स्कूल के पास चाय की दुकान पर चाय पीने गया था कि वहां गांव के ही गुड्डू कुशवाहा दिनांक 18.01.2024 समय लगभग 09.00 बजे उसको जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे विरोध करने पर उसको लात–घूसों से मारना–पीटना शुरू कर दिया। अग्रेतर यह भी कथन किया गया है कि टंडन कुशवाहा व गुड्डू की पत्नी भी मौके पर आकर उसके साथ गाली–गलौज करने लगी, गुड्डू की मां ने भी गाली–गलौज किया तथा जान से मरवा देने की धमकी देते हुए चले गये। विवेचक द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण गुड्डू कुशवाहा व इन्द्रावती के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(द), 3(1)(ध)एस.सी./एस.टी. एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वे निर्दोष हैं, उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है तथा उन्हें झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इस जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो विचाराधीन है न ही निरस्त किया गया है। अग्रेतर यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 12 दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध जिन धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है उनमें से किसी भी धारा में सात वर्ष से अधिक के दण्ड का प्रावधान नहीं है तथा दौरान विवेचना उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजकगण, दाण्डिक की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ मारपीट करने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी दिये जाने तथा जातिसूचक शब्दों के प्रयोग से अपमानित किये जाने का आरोप है। उपरोक्त आधारों पर जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. उभय पक्षों को सुनने, अभिलेख का अवलोकन करने तथा इस तर्क को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदकगण/अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा व रंजिशन फँसाये जाने का कथन किया है। अग्रेतर यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 12 दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण

के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(द), 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा उनके विरुद्ध जिन धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है उनमें से किसी भी धारा में सात वर्ष से अधिक के दण्ड का प्रावधान नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का न तो कोई आपराधिक इतिहास है और न ही किसी भी अपराध में पूर्व दोषसिद्ध होना बताया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773 में* प्रतिपादित सिद्वान्त को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर विचार किये न्यायालय की राय में आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है तथा जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण गुड्डू कुशवाहा उर्फ दीपक कुमार व इन्द्रावती की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु0 30,000–30,000/– (तीस–तीस हजार रूपये) का निजी बंधपत्र एवं इसी धनराशि की एक–एक विश्वसनीय जमानत संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने व संतुष्टि पर निम्न शर्तों के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाता है–

(i) आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा इस तरह की अपराध की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(ii) आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा आरोप विरचन व धारा 313 दं.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस. के बयान अंकित किये जाने के स्तर पर आहूत किये जाने पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

(iii) आवेदकगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्षीगण के आने पर अनावश्यक स्थगन प्रार्थनापत्र नहीं देंगे और न ही साक्षीगण को डरायेंगे व धमकायेंगे।

(iv) आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन जमानत निरस्तीकरण हेतु न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकती है।

दिनांक– जुलाई 17, 2026

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
जे.ओ.कोड–यू.पी. 6278

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.07.17 16:21:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court